ार्यालय नायब तहसीलदार रुपनगढ,जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं0 50 /2022 — किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
उनवान — राज. भू राजस्व अधि0 1956

सरकार जरिये प0ह0 रोडावास

बनाम

रतनसिंह, बच्चनसिंह, किशोरसिंह, रघुवीरसिंह पि0 लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत सा0देह

निर्णय

दिनांक 15/11/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम रोडावास के आराजी खसरा नं0 302 किस्म गे0मु0 नाडी रकबा 0.5663 है0 में से रकबा 0.5663 है0 पर बाड लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान उपस्थित हुए। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण होना साबित होता है ।

अतः आदेश दिये जाते है कि गैरसायल को ग्राम रोडावास के आराजी खसरा नं0 302 किस्म गे0मु0 नाडी रकबा 0.5663 है0 में से रकबा 0.5663 है0 पर बाड लगाकर किये गये अनाधिकृत कब्जा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.12 रूपये का 50.गुणा 56.00 रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो ।

Amit

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या 31 पर रु. 56/- की मांग कायमी की गई।
18/11/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner